THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (Shri I.K. GUJRAL) (a) and (b) Government regret that Pakistan has not been reciprocating our desire to establish friendly and cooperative relations and instead continues to encourage and support terrorism directed against India. Pakistan's interference in our internal affairs, is in complete violation of the letter and spirit of the Simla Agreement, and has vitiated the atmosphere for normalisation of bilateral relations.

Autonomy to J and K

1910. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether some of the constituents of the present Government, individuals and organisations have requested Government to grant autonomy to Jammu and Kashmir as enjoyed by it prior to 1952;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to take some action on these requests;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI MUFTI MOHAMMED SAYEED): (a) No, Sir.

(b) to (c) Do not arise.

Report of the Focus Committee on development of telecommunications in New Bombay

1911. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have received the report of the Focus Committee on development of telecommunications in New Bombay; and

(b) if so, what are its salient features and the decisions taken by Government?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI K.P. UNNIKRISHNAN): (a) The report has not been received.

(b) Does not arise in view of (a) above.

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे दिल्ली पुलिस के सहायक आयुक्त

1912. श्री सुनील कुमार पट्टनायक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत कितने

सहायक पुलिस आयुक्त विधि स्नातक हैं और कितने नहीं हैं इनके क्रमश: नाम, शैक्षिक अर्हतायें और नियुक्ति-क्षेत्र सहित ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कोई गैर-विधि-स्नातक व्यक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेट बन सकता है; यदि नहीं, तो क्या उक्त विभाग में यह परम्परा कई वर्षों से जारी है और जनता को परेशान किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में पुलिस आयुक्त प्रणाली को समाप्त करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) 9 सहायक पुलिस आयुक्त विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के पद पर कार्य कर रहे हैं। उनमें से कोई भी विधि स्नातक नहीं है। उनके नाम, शैक्षिणिक योग्यता इत्यादि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ख) विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट का पद कोई भी गैर-विधि स्नातक व्यक्ति धारण कर सकता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे अधिकारी का नाम	शैक्षणिक अर्हता	तैनातगी का स्थान
1	श्री सुवाशीश चौधरी . .	एम०ए०	उत्तर पश्चिमी जिला
2	श्री हरीमोहन मीणा . .	एम०ए०/ एम० फिल	उत्तरी जिला
3	श्री शिवदीन सिंह यादव .	बी०ए०	केन्द्रीय जिला
4	श्री त्रिलोक सिंह सोड़ी . .	बी०ए०	दक्षिण-पश्चिमी जिला
5	श्री एस० वासदेव राव . .	बी०काम०	दक्षिण जिला
6	श्री रूपेन्द्र कुमार . .	एम०ए०	पश्चिमी जिला
7	श्री यू०के० चौधरी . .	एम०एस०सी०	उत्तर-पूर्वी जिला
8	श्री रनवीर सिंह . .	एम०एस०सी०	पूर्वी जिला
9	श्री प्रभाकर . . .	एम०ए०	नई दिल्ली जिला